

### ३. संविधान की विशेषताएँ

पिछले दो पाठों में हमने भारतीय संविधान का निर्माण और संविधान की उद्देशिका का अध्ययन किया। प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्र, गणराज्य जैसी अवधारणाओं को समझा। उद्देशिका में उल्लिखित ये उद्देश्य हमारे संविधान की विशेषताएँ भी हैं। इसके अतिरिक्त संविधान की अन्य दूसरी कौन-सी विशेषताएँ हैं; इसे हम इस पाठ में देखेंगे।

**संघराज्य :** संघीय राज्यव्यवस्था हमारे संविधान की महत्त्वपूर्ण विशेषता है। भूप्रदेश विशाल हो और जनसंख्या अधिक हो तो ऐसे देशों में शासन चलाने की एक प्रचलित प्रणाली है। उसे संघराज्य प्रणाली कहते हैं। विशाल और व्यापक भूप्रदेश होने पर एक ही स्थान से प्रशासन चलाना कठिन होता है। सुदूर प्रदेश दुर्लक्षित हो जाते हैं। वहाँ के लोगों को प्रशासन में प्रतिभागी बनने का अवसर नहीं मिलता। अतः संघराज्य में दो स्तरों पर शासन संस्थाएँ होती हैं। संपूर्ण देश की सुरक्षा, विदेश नीति, शांति आदि कार्य केंद्र सरकार के दायित्व होते हैं। इसे 'केंद्र सरकार' अथवा 'संघ शासन' भी कहते हैं। केंद्र सरकार संपूर्ण देश का प्रशासन चलाती है।

जिस प्रदेश में हम रहते हैं; उस प्रदेश का प्रशासन चलाने वाले शासन को 'राज्य सरकार' (राज्य शासन) कहते हैं। राज्य सरकार किसी सीमित प्रदेश का प्रशासन चलाती है। जैसे-महाराष्ट्र राज्य सरकार। दो स्तरों पर विभिन्न विषयों पर कानून बनाकर पारस्परिक सहयोग द्वारा शासन चलाने की इस प्रणाली को 'संघराज्य' कहते हैं।

**अधिकारों का विभाजन :** संविधान ने संघ सरकार और राज्य सरकार के बीच अधिकारों का विभाजन किया है। उसके अनुसार किस विषय के अधिकार किसके पास हैं; यह देखेंगे। हमारे संविधान ने तीन सूचियाँ बनाई है और उनमें विभिन्न विषयों का उल्लेख किया है।

प्रथम सूची को 'संघ सूची' कहते हैं। इस सूची में ९७ विषय हैं तथा इन विषयों पर संघ सरकार कानून बनाती है। राज्य सरकार की 'राज्य सूची' है। इस सूची में ६६ विषय हैं। इन विषयों पर राज्य सरकार कानून बनाती है। इन दोनों सूचियों के अतिरिक्त एक और सूची होती है। इस सूची को 'समवर्ती सूची' कहते हैं। इसमें ४७ विषय हैं। इन विषयों पर संघ और राज्य सरकार कानून बना सकती हैं। इन सूचियों में समाविष्ट विषयों को छोड़कर कोई विषय नए-से निर्माण होता है तो उसपर कानून बनाने का अधिकार संघ सरकार को होता है। इस अधिकार को 'अवशिष्ट शक्तियाँ' कहते हैं।



**क्या तुम जानते हो ?**

भारतीय संघराज्य में अधिकारों का विभाजन वैशिष्टपूर्ण है। इस प्रकार के विभाजन से संघ सरकार और राज्य सरकार को एक-दूसरे के साथ सहयोग करते हुए देश का विकास साधना संभव होता है। इस प्रणाली में देश के शासन में नागरिकों की सहभागिता को प्रोत्साहन मिलता है।

**कौन-से विषय किसके पास हैं ?**

(१) **संघ सरकार के अधीन विषय :** रक्षा, विदेश नीति, युद्ध एवं शांति, मुद्रा व्यवस्था, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार आदि।

(२) **राज्य सरकार के अधीन विषय :** कृषि, कानून एवं व्यवस्था, स्थानीय प्रशासन, स्वास्थ्य, कारागार प्रशासन आदि।

(३) **दोनों सरकारों के संयुक्त अधीन में विषय :** रोजगार, पर्यावरण, आर्थिक एवं सामाजिक नियोजन, व्यक्तिगत कानून, शिक्षा आदि।

**संघ शासित प्रदेश :** भारत में एक संघ सरकार, २८ राज्य सरकारें और ९ संघशासित प्रदेश हैं।

संघशासित प्रदेशों पर संघ सरकार का नियंत्रण रहता है । नई दिल्ली, दमण-दीव, पुदुच्चेरी, चंडीगढ़, दादरा-नगर हवेली, अंदमान-निकोबार, लक्ष द्वीप, जम्मू और काश्मीर, लद्दाख संघशासित प्रदेश हैं ।



### करके देखो

पूर्वोत्तर राज्यों की सूची बनाओ । वहाँ के राज्यों की राजधानी के शहर कौन-से हैं ?

**संसदीय शासन प्रणाली :** भारतीय संविधान में संसदीय शासन प्रणाली को लेकर प्रावधान निश्चित किए हैं । संसदीय शासन प्रणाली में संसद अर्थात विधायिका को निर्णय लेने के सर्वोच्च अधिकार होते

हैं । भारत की संसद में राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा का समावेश रहता है । प्रत्यक्ष शासन चलाने वाले मंत्रिमंडल का निर्माण लोकसभा द्वारा किया जाता है और वह अपने प्रशासनिक कार्यों के लिए लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है । संसदीय शासन प्रणाली में संसद में होनेवाली चर्चाएँ, विचार विमर्शों को महत्त्व प्राप्त रहता है ।

**स्वतंत्र न्यायपालिका :** भारतीय संविधान द्वारा स्वतंत्र न्यायपालिका का निर्माण किया गया है । जब विवादित मुद्दों का एक-दूसरे के बीच हल निकाला नहीं जा सकता; ऐसी स्थिति में वे न्यायालय में जाते हैं । न्यायालय दोनों पक्षों की जिरह सुनकर जिसके साथ अन्याय हुआ है; उसे दूर



### क्या तुम जानते हो ?



प्रचलित नोट

तुमने प्रचलित नोट देखे हैं? उनपर 'केंद्रीय सरकार द्वारा प्रत्याभूत' अंकित रहता है।

पुलिसकर्मी के कंधे पर लगे बिल्ले को तुमने देखा होगा । उसपर 'महाराष्ट्र पुलिस' लिखा होता है ।

तुमने 'भारतीय रेल' और 'महाराष्ट्र राज्य परिवहन महामंडल' पढ़ा होगा ।

इसका अर्थ यह होता है कि हमारे देश में दो स्तरों पर सरकारें हैं । एक भारत सरकार और दूसरी राज्य सरकार जैसे-महाराष्ट्र सरकार, कर्नाटक सरकार आदि ।



महाराष्ट्र पुलिस-बोध चिह्न



भारतीय रेल-बोध चिह्न



महाराष्ट्र राज्य परिवहन महामंडल-बोध चिह्न

कर न्याय करता है। यह कार्य निष्पक्षता के साथ होना आवश्यक होता है।

न्यायालय को किसी भी प्रकार के दबाव में आकर अपना कार्य न करना पड़े; इसलिए न्यायपालिका को अधिकाधिक स्वतंत्र रखने की दृष्टि से संविधान द्वारा अनेक प्रावधान किए गए हैं। जैसे-न्यायाधीशों की नियुक्तियाँ सरकार द्वारा न होकर राष्ट्रपति द्वारा की जाती हैं। न्यायाधीशों को सरलता से उनके पदों से हटाया नहीं जा सकता।

**इकहरा नागरिकत्व :** भारतीय संविधान द्वारा भारत के सभी नागरिकों को एक ही नागरिकत्व

प्रदान किया गया है। वह है-‘भारतीय’ नागरिकत्व।

### संविधान में संशोधन करने की पद्धति :

संविधान में उल्लिखित प्रावधानों में परिस्थिति के अनुसार संशोधन अथवा परिवर्तन करना पड़ता है परंतु संविधान में बार-बार संशोधन अथवा परिवर्तन करने से अस्थिरता अथवा अराजकता निर्माण हो सकती है। अतः किसी भी प्रकार का संशोधन करते समय उसपर समग्र विचार किया जाना चाहिए। इसके लिए भारतीय संविधान में ही संविधान संशोधन की संपूर्ण प्रक्रिया स्पष्ट की गई है। संविधान में किसी भी प्रकार का किया जानेवाला संशोधन इसी



प्रक्रिया द्वारा करना आवश्यक होता है। संविधान में संशोधन करने की यह प्रक्रिया बड़ी वैशिष्टपूर्ण है। यह प्रक्रिया बहुत जटिल भी नहीं है और बहुत सरल भी नहीं है। किए जानेवाले महत्त्वपूर्ण संशोधन पर विचार-विनिमय करने हेतु पर्याप्त अवसर दिया गया है तो सामान्य संशोधन बड़ी सहजता-सरलता से किया जाएगा; इतना लचीलापन भी इस प्रक्रिया में है।

### ढूँढो

अब तक भारतीय संविधान में कितनी बार संशोधन किया गया है ?

**निर्वाचन आयोग :** निर्वाचन आयोग के बारे में तुम समाचारपत्र में हमेशा पढ़ते होगे। हमारे देश ने लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को स्वीकार किया है। फलस्वरूप निश्चित अवधि के बाद जनता को अपने प्रतिनिधि पुनः नए-से चुनकर देने होते हैं। इसके लिए चुनाव करवाने पड़ते हैं। ये चुनाव खुले और निष्पक्ष वातावरण में होना आवश्यक होता है। तभी नागरिक बिना किसी भी दबाव के योग्य और सही प्रत्याशी को चुनकर भेज सकते हैं। यदि सरकार



### बताओ तो

वर्तमान प्रमुख निर्वाचन आयुक्त कौन हैं ?  
चुनावी आचार संहिता किसे कहते हैं ?  
निर्वाचन क्षेत्र किसे कहते हैं ?

चुनाव का आयोजन करती है तो खुले और निष्पक्ष वातावरण में चुनाव होंगे ही; ऐसा विश्वास के साथ नहीं कहा जा सकता। इसलिए हमारे संविधान ने चुनाव संपन्न कराने का दायित्व एक स्वतंत्र संस्थान को सौंपा है। वह संस्थान अर्थात् 'निर्वाचन आयोग' है। भारत में सभी महत्त्वपूर्ण चुनाव संपन्न कराने का दायित्व निर्वाचन आयोग पर है।

भारतीय संविधान की अनेक विशेषताएँ हैं। इस पाठ में हमने उनमें से कतिपय महत्त्वपूर्ण विशेषताओं का ही अध्ययन किया है। मौलिक अधिकारों के विषय में विस्तृत प्रावधानों का होना हमारे संविधान की और एक महत्त्वपूर्ण विशेषता है। उसका अध्ययन हम अगले पाठ में करेंगे।



### स्वाध्याय

१. संघराज्य शासन प्रणाली के अनुसार अधिकारों का विभाजन किस प्रकार किया गया है; इसकी सूची निम्न तालिका में बनाओ।

संघ सरकार	राज्य सरकार	वे विषय जो दोनों सरकारों के पास हैं।
(१) _____	(१) _____	(१) _____
(२) _____	(२) _____	(२) _____
(३) _____	(३) _____	(३) _____

२. उचित शब्द लिखो :

- (१) संपूर्ण देश का शासन चलाने वाली व्यवस्था-
- (२) वह व्यवस्था जो चुनाव संपन्न कराती है-
- (३) दोनों सूचियों को छोड़कर शेष सूची-

३. लेखन करो :

- (१) संघ राज्य में दो स्तरों पर शासन संस्थाएँ होती हैं।

(२) अवशिष्ट शक्तियाँ किसे कहते हैं ?

(३) संविधान द्वारा न्यायपालिका को स्वतंत्र रखा गया है।

४. 'स्वतंत्र न्यायपालिका के लाभ और हानि' इस विषय पर कक्षा में सामूहिक विचार-विमर्श का आयोजन करो।

५. इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्र (EVM) का उपयोग करने से कौन-से लाभ प्राप्त होते हैं; इसकी जानकारी प्राप्त करो।

### उपक्रम

कक्षा में निर्वाचन आयोग का गठन करो। उस निर्वाचन आयोग के मार्गदर्शन में कक्षा के चुनाव संपन्न कराओ।

